



दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक के जनपद आगमन पर महोदय द्वारा थाना कबरई का निरीक्षण किया गया एवं दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश:-

आज दिनांक 18.11.2020 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री प्रेम प्रकाश द्वारा जनपद आगमन पर आये जहां महोदय द्वारा थाना कबरई का निरीक्षण किया गया। कबरई थाने के औचक निरीक्षण के दौरान कोविड केयर डेस्क और साथ ही महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई थाना स्तर पर जो भी शिकायतें आई हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, कंप्यूटर में भीड किया जा रहा है और पावती दी जा रही है, मिशनशक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सहायता के लिये महिला हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो भी समस्या है उनका निराकरण किया जा रहा है जिससे खुश होकर महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त म०कां० सुमन देवी व म०कां० बबिता पाल को पुरस्कार स्वरूप 500-500 रुपये के ईनाम से एडीजी द्वारा पुरस्कृत किया गया, तथा कहा गया कि उनको अपने काम की पूरी जानकारी है अभी तक उन्होंने बड़ी

मुस्तैदी से कार्य निपटाया। एडीजी महोदय द्वारा थाना कबरई में आज क्राइम की समीक्षा की गई है जिसमें दहेज हत्या के बलात्कार कुछ मामलों में वांछित जो प्रीवेंटिव कार्रवाई हैं उसको बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है सीसीटीएनएस और जो रिकॉर्ड से अप टू डेट है। कबरई में पानी के समस्या पर कहा गया कि यहां पानी की एक समस्या चल रही है इसके बारे में भी प्रशासन से बात की है, जिससे जल्द पेयजल आपूर्ति की समस्या का निराकरण किया जा सके।

तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसमें रजि०नं०-4 व 8 तथा फ्लाइ शीट, भूमि-विवाद रजि०, महिला उत्पीड़न रजि०, एससी/एसटी उत्पीड़न रजि०, माल रजि० सहित आदि रजिस्ट्रो को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह, प्र०नि० कबरई दीपक कुमार पाण्डेय, पीआरओ राजेश मौर्य व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस लाइन पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन कर अपराध के सम्बन्ध में की समीक्षा गोष्ठी:-

आज दिनांक **18.11.2020** को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, जोन प्रयागराज, श्री प्रेम प्रकाश महोबा आगमन किये जो थाना कबरई के निरीक्षण के बाद पुलिस लाइन महोबा पहुंचे जहां मौजूद गार्ड से सलामी ली गयी व सलामी गार्ड को पुरस्कृत करने के निर्देश दिये, तत्पश्चात अल्प विराम हेतु गेस्ट हाउस में रुके। अल्प विराम के बाद एडीजी महोदय पुलिस लाइन अवस्थित सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन को सम्बोधित करने व मौजूद सभी थानों के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से उनकी समस्या जानी व उनका हालचाल लिया तथा मौजूद सभी से कोविड-19 के खतरों से सचेत रहकर आमजन की सुरक्षा करने की अपील की।

एडीजी महोदय द्वारा मौजूद सभी से कहा गया कि थानों पर कैमरे लगाये जायें, थानों पर आये हुये शिकायतकर्ता से शिकायती प्रार्थना-पत्र पर सम्पर्क नम्बर अवश्य लिया जाये जिससे उनको समय-समय पर वार्ता कर

कुशलक्षेम से रुबरु हो सके। तत्पश्चात मौजूद सभी से भ्रष्टाचार के विरुद्ध सहयोग की अपील की गयी, जिससे पुलिस पर जनता का विश्वास बना रहे। पीआरवी-112 गाडियों की चेकिंग के निर्देश भी दिये गये जिसमें कहा गया कि पीआरवी-112 गाडियों कि जनता के बीच उपलब्धता बनायी जाये।

सैनिक सम्मेलन के बाद पुलिस लाइन निरीक्षण के तदोपरान्त श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस लाइन में बने गेस्ट हाउस में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी साथ एक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय व समस्त थानों/कार्यालय शाखा के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

थाना चरखारी पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

....पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत विधिक कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में आज दिनांक 18.11.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर०के० गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा गठित मु०अ०सं० 258/20 धारा 354ख/323/427/504/506 IPC व 8 पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त हरि सिंह पुत्र हरचरन राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार कर मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त हरि सिंह पुत्र हरचरन राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम..थाना- चरखारी।

1. उ०नि० सुशील कुमार कटियार
2. हो०गा० बालकिशुन





दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत महिला थाना प्रभारी एवं एण्टी रोमियों टीम ने बालिकाओं/महिलाओं को किया गया जागरूक

112,1076 को साझा किया गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।



आज दिनांक 18.11.2020 को उ0नि0 सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय टीम एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ शहर के रामकथा मार्ग, उदल चौक, प्राइवेट बस-स्टैण्ड, तहसील चौराहा आदि जगहो पर जाकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान **“मिशन शक्ति”** के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181,





दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

पनवाड़ी पुलिस ने 15000 रू० का इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 18/11/2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारंटी धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेशराय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव नेतृत्व में गठित टीम ने स्थानीय थाना में पंजीकृत मु०अ०सं० 149/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एवं पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुरस्कार घोषित एवं 15000 रुपये का इनामिया अभियुक्त अशोक सोनी पुत्र रामबाबू सोनी निवासी ग्रा० जल्ला थाना बिवार जिला हमीरपुर वर्तमान पता- कस्बा पठानपुरा थाना कोतवाली राठ जिला हमीरपुर को राठ रोड स्थित पेट्रोल पम्प के सामने कस्बा पनवाड़ी में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –थाना पनवाड़ी

- 1- प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव
- 2- व०उ०नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह
- 3- का. रिकू सरोज
- 4- का. अजीत सिंह

अभियुक्त का अपराधिक विवरण-

1. मु०अ०सं० 75/2020 धारा 392/411/120B IPC व थाना महोबकंठ जिला महोबा ।
2. मु०अ०सं० 149/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना महोबकंठ जिला महोबा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का पता-

1. अशोक सोनी पुत्र रामबाबू सोनी निवासी ग्रा० जल्ला थाना बिवार जिला हमीरपुर वर्तमान पता- कस्बा पठानपुरा थाना कोतवाली राठ जिला हमीरपुर





दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

थाना कबरई पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर०के० गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री दीपक कुमार पांडे द्वारा गठित टीम ने सम्बन्धित मु०अ०सं० 255/20 धारा 363/366 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त द्रगपाल पुत्र मनसुख उम्र 22 वर्ष नि० ग्रा० नरैणी थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार कर मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त द्रगपाल पुत्र मनसुख उम्र 22 वर्ष नि० ग्रा० नरैणी थाना चरखारी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम..थाना- कबरई।

कांधर्मेन्द्र कुमार ०

मअनुराधा तिवारी ०कां०

....पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत विधिक कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम मे आज दिनांक 18.11.2020 को



दिनांक:- 18.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

महोबा पुलिस द्वारा शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत फ्लैग मार्च करके की गई अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक



संदिग्धो/संवेदनशील/बाजार/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।



आज दिनांक 17.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान